उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 | अंक 22 | 16-30 नवंबर 2021 | ₹ 20/-

नागरिकता कानून के खिलाफ पुन: राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी

- खुले में नमाज पर विवाद को विश्व स्तर पर उठाएगा पाकिस्तान
- अमेरिका द्वारा तालिबान के साथ वार्ता की घोषणा
- लेबनान और सऊदी अरब के बीच तनाव
- जाकिर नाइक के संगठन पर प्रतिबंध में विस्तार

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

नागरिकता कानून के खिलाफ पुनः राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी 04
खुले में नमाज पर विवाद को विश्व स्तर पर उठाएगा पाकिस्तान 05
समान नागरिक संहिता और इस्लामिक कानूनों में हस्तक्षेप का विरोध 07
परेशानियों में घिरे वसीम रिजवी 08
हज के लिए 20 हजार आवेदन 10

विश्व

अमेरिका द्वारा तालिबान के साथ वार्ता की घोषणा 11
खालिदा जिया की हालत नाजुक 12
बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या में भारी कमी 13
आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्धविराम 14
फ्रांस में इस्लामिक आतंकवादी संगठनों पर नियंत्रण का फैसला 15

पश्चिम एशिया

लेबनान और सऊदी अरब के बीच तनाव 16
कर्नल गद्दाफी का बेटा चुनाव के लिए अयोग्य घोषित 18
ऑस्ट्रेलिया ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया 19
अमेरिका और ईरान के बीच झड़पों में नौ फौजी मरे 20
तुर्की में दस अरब डॉलर का पूंजी निवेश 21

अन्य

जामा मस्जिद की खस्ता हालत 22
मोदी सरकार ने बदले 26 रेलवे स्टेशनों के नाम 23
मुस्लिम लड़कियां गैर मुसलमानों की ओर आकर्षित 23
अमेरिकी संविधान का प्रारूप साढ़े चार करोड़ डॉलर में नीलाम 24
जाकिर नाइक के संगठन पर प्रतिबंध में विस्तार 24

सारांश

देश की मुस्लिम राजनीति की बासी कड़ाही में पुनः उबाल आ रहा है। मोदी सरकार ने जिस तरह से किसानों के दबाव में आकर कृषि कानून वापस लिए हैं उससे प्रेरित होकर मुस्लिम नेता भी यह सोच रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर दबाव बनाकर वे सरकार को इन्हें वापस लेने के लिए बाध्य कर लेंगे। सबसे खतरनाक बात यह है कि देश का विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट असम और उत्तर-पूर्व के राज्यों में तेजी से पांव पसार रहा है। इस इस्लामिक संगठन के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। त्रिपुरा की घटना का लाभ उठाकर अतिवादी इस्लामिक संगठन सरकार के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। इसलिए सरकार को इन तत्वों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।

देश के मुसलमान भले ही कुछ भी दावा करें मगर कड़वी सच्चाई यह है कि वे जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिनसे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का मौका मिल जाता है। गत दो वर्षों से गुरुग्राम में खुले में नमाज अदा करने का जो विवाद चल रहा है उसने हाल ही में एक नया मोड़ लिया है। इस घटना की आड़ लेकर पाकिस्तान ने भारत को न सिर्फ निशाना बनाया है बल्कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की भी धमकी दी है।

विवादित मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानपुर में हुए अधिवेशन में इस संगठन के कड़े रूख को नजरअंदाज करना देश हित में नहीं होगा। इस संगठन ने प्रस्ताव पारित करके सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने और शरई मामलों में हस्तक्षेप करने पर धमकी दी है। यह संगठन इससे पूर्व भी राष्ट्र के लिए सिरदर्द पैदा करता आ रहा है। इस संगठन का संगठनात्मक ढांचा बड़ा अजीब है। आज तक न तो इसका सदस्यता अभियान ही चला है और न ही कोई विधिवत चुनाव ही हुए हैं। यह संगठन कुछ परिवारों की पैतृक जागीर बनकर रह गया है। यह संगठन एक तरह का स्वयंभु सामाजिक संगठन है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका लक्ष्य मुस्लिम शरई मामलों में सरकार और न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोकना है। यह संगठन शुरू से विवादित रहा है। यही कारण है कि शियाओं और मुस्लिम महिलाओं को अलग-अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन करना पड़ा।

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने जिहाद छेड़ दिया है। रिजवी ने यह घोषणा की है कि क्योंकि मुसलमान उन्हें इस्लाम से खारिज कर चुके हैं इसलिए वे अपने शव को किसी कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देना चाहते। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से किया जाए।

लेबनान और अरब जगत के अन्य सुन्नी देशों के बीच संबंध दिन-प्रतिदिन कटु होते जा रहे हैं। सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों ने लबनान से राजनयिक संबंध तोड़ने और व्यापारिक बहिष्कार करने की घोषणा की है। कारण यह है कि शिया आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के ईरान के साथ गहरे संबंध हैं। अमेरिका और सऊदी अरब का यह प्रयास था कि सीरिया के शिया शासक बशर अल-असद को उनके पद से हटाया जाए। मगर लेबनान और ईरान के समर्थन के कारण अमेरिका और सऊदी अरब की यह योजना सफल नहीं हो पाई। ईरान ने सऊदी अरब और इजरायल के बढते हुए नजदीकी रिश्तों का जिस तरह से विरोध किया है उससे ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में तनाव तेजी से बढ़ा है। रही सही कसर हूती विद्रोहियों को ईरान द्वारा सहायता दिए जाने से भी पूरी हो गई है।

नागरिकता कानून के खिलाफ पुनः राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी

कृषि से संबंधित कानूनों के रद्द किए जाने के बाद मुस्लिम नेताओं ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) एवं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन पुनः छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है।

इंकलाब (24 नवंबर) ने इस संदर्भ में सात कॉलमी समाचार प्रकाशित करते हुए यह दावा किया है कि कृषि कानूनों के रद्द किए जाने के बाद सीएए के खिलाफ विरोध प्रकट करने वाले संगठन अब पुनः सक्रिय हो गए हैं। देश के प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने यह मांग की है कि देश की अधिकांश जनता क्योंकि इन कानूनों के खिलाफ है इसलिए जनभावना को देखते हुए मोदी सरकार को इन दोनों विवादित कानूनों को भी तुरंत वापस ले लेना चाहिए। समाचारपत्र ने दावा किया है कि ऑल असम छात्र यूनियन से लेकर कृषि मुक्ति संग्राम समिति आदि अनेक संगठनों ने आंदोलन को पुनः छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। ऑल असम छात्र यूनियन के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य का कहना है कि कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला मोदी सरकार ने इसलिए किया क्योंकि यह जनता के साथ अन्याय था। अब केन्द्र सरकार को सीएए को भी हर हाल में रद्द करना होगा। क्योंकि यह उत्तर-पूर्व के मूल निवासियों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ संयुक्त आंदोलन शुरू करने के लिए ऑल असम छात्र यूनियन अन्य तीस संगठनों के साथ बातचीत प्रारम्भ कर चुको है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वहां की विभिन्न सभाओं में भाषण देते हुए उन्होंने यह घोषणा की है कि वे इस काले कानून को रद्द करने के लिए देश भर में पुनः आंदोलन शुरू कर रहे हैं। शाहीन बाग और लखनऊ की महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि वे इन काले कानूनों को रद्द करें। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को चेतावनी दी है कि वे

सीएए की आड़ में जनता की भावनाओं को भड़काने का प्रयास न करें। अगर राज्य का वातावरण खराब करने का प्रयास किया गया तो सरकार यह भलीभांति जानती है कि ऐसे शरारती तत्वों से कैसे निपटा जाए।

अखबार-ए-मशरिक (26 नवंबर) के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार सीएए और एनआरसी को वापस नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मामले को धार्मिक रंग देकर सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून से मुसलमानों को भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं।

हमारा समाज (20 नवंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के नेता मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि सरकार को ये कानून वापस ले लेने चाहिए क्योंकि यह मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि किसानों को सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने की प्रेरणा शाहीन बाग आदि घटनाओं से मिली थी।

इमारत-ए-शरिया के अमीर मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने भी सरकार से मांग की है कि इस कानून को वापस लिया जाए। उन्होंने दावा किया है कि यह कानून संविधान और सेक्युलरिज्म की मूल भावना के खिलाफ है।

इत्तेमाद (26 नवंबर) के अनुसार इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि अगर संसद के आगामी सत्र मं मोदी सरकार जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों क पंजीकरण का बिल सदन में पेश करती है तो उनका दल उसका विरोध करेगा। क्योंकि यह एनपीआर और एनआरसी की तैयारी होगी। उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक धर्म के आधार पर बनाया गया है जो कि संविधान के खिलाफ है।

इत्तेमाद (24 नवंबर) के संपादकीय में भी इस कानून को वापस लेने की सरकार से मांग की गई है। इत्तेमाद ने ही 19 नवंबर के संपादकीय में मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

सालार (21 नवंबर) के अनुसार केन्द्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी यह घोषणा की है कि सरकार सीएए को वापस नहीं लेगी।

कौमी तंजीम (22 नवंबर) के संपादकीय में यह दावा किया गया है कि मुस्लिम संगठन एकजुट होकर इन काले कानूनों को वापस लेने का आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 नवंबर) ने अपने संपादकीय में सरकार को परामर्श दिया है कि वह सीएए को वापस ले।

खुले में नमाज पर विवाद को विश्व स्तर पर उठाएगा पाकिस्तान

हरियाणा के गुरुग्राम में खुले स्थानों पर नमाज अदा करने का जो विवाद पिछले कुछ समय से चल रहा है अब उसने एक नया मोड़ ले लिया है। पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को भारत के खिलाफ उठाया है।

पाकिस्तानी समाचारपत्र **डॉन** (21 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने यह धमकी दी है कि वह इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ में अल्पसंख्यकों के आयोग में उठाएगी। इसके साथ ही इस्लामिक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस मुद्दे को उछालना शुरू कर दिया है। 24 नवंबर को अलजजीरा नामक अंतरराष्ट्रीय चैनल ने इस विवाद को प्रमुखता से उछालने का प्रयास किया है। बीबीसी भी इस संबंध में अनेक बार प्रसारण कर चुका है।

इंकलाब (27 नवंबर) ने मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है, 'गुरुग्राम में शरारती तत्वों ने फिर जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी'। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि आज जब मुसलमानों ने जुमे की नमाज को अदा करने का प्रयास किया तो शरारती तत्व नमाज में आकर बैठ गए और उन्होंने उत्तेजक नारे लगाए। हालांकि प्रशासन ने इस स्थान पर मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति दी हुई है और मौके पर पुलिस भी काफी संख्या में मौजूद थी मगर उन्होंने शरारती तत्वों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों के विरोध के कारण मुसलमान गुरुद्वारे में भी नमाज नहीं पढ़ सके। जबकि सेक्टर 12 में अक्षय यादव की दुकान पर नमाज अदा की गई।

समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि सेक्टर 37 में जहां पिछले 15 वषां से नमाज होती आ रही है वहां पर 3000 के लगभग नमाजी नमाज अदा करने के लिए आते रहे हैं मगर शरारती तत्वों ने सुबह से ही वहां पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और उन्होंने धमकाकर नमाजियों को वापस भेजने का प्रयास किया। मुस्लिम नेता शहजाद खान का दावा है कि उनके प्रयास से कुछ लोगों ने वहां पर नमाज अदा किया। शीतला कॉलानी के खाली प्लॉट पर भी कुछ लोगों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया था जिसके कारण नमाज अदा नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में पुलिस में शिकायत करेंगे। मुफ्ती सलीम कासमी ने दावा किया है कि हालांकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से मुसलमानों को गुरुद्वारे के अंदर नमाज अदा करने का निमंत्रण दिया गया था लेकिन बजरंग दल और आरएसएस से संबंधित कुछ सिखों के विरोध के कारण वहां नमाज नहों पढ़ी जा सकी। उन्होंने दावा किया कि नमाज पढ़ने की अनुमति देने वाले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शेरदिल संधु ने भी हमें यह बताया है कि गुरुद्वारा में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के निमंत्रण का अकाल तख्त ने भी समर्थन किया है। उनका कहना था कि जब अकाल तख्त को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो इसका विरोध करने वालों से आपको भयभीत नहीं होनी चाहिए और नमाज पढ़नी चाहिए।

गौरतलब है कि दो सप्ताह पूर्व गुरुग्राम की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुसलमानों को गुरुद्वारे के अंदर नमाज पढ़ने का निमंत्रण देकर खूब पब्लिसिटी बटोरी थी। मगर इसके बावजूद जनविरोध के कारण मुसलमान अभी तक गुरुद्वारे के अंदर नमाज नहीं पढ़ पाए हैं।

हमारा समाज (19 नवंबर) में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया है कि गुरुग्राम में सिखों ने जिस तरह से गुरुद्वारे में मुसलमानों को नमाज पढ़ने का निमंत्रण दिया है वह अतिवादी हिंदू संगठनों के मुंह पर तमाचा है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि अतिवादी हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग जानबूझकर मुसलमानों की नमाज में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर उन्होंने वहां गोवर्धन पूजा की थी जबकि नमाज के लिए निर्धारित एक अन्य जगह को उन्होंने वॉलीबॉल कोट में बदल दिया है।

सहाफत (17 नवंबर) के अनुसार अतिवादी हिंदुओं के दबाव के कारण हरियाणा सरकार ने 37 स्थानों पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी जिसमें से आठ को रद्द कर दिया है। नमाज में बाधा डालने के आरोप में गुरुग्राम पुलिस ने 26 प्रदर्शनकारियों को इस संदर्भ में गिरफ्तार किया था। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष महावीर भारद्वाज का दावा है कि हरियाणा सरकार ने खुले में नमाज अदा करने की अनुमति किसी को नहीं दी थी। मुसलमानों द्वारा 37 जगहों की जो सूची पेश की जा रही है वह फर्जी है। मुस्लिम एकता मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुग्राम के जिलाधिकारी से मुलाकात करके यह मांग की है कि उन्हें निर्धारित जगहों पर नमाज पढ़ने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने

सरकार से यह भी मांग की है कि उन्हें नई मस्जिदें बनाने के लिए भूमि अलॉट की जाए और इसके अतिरिक्त जिन पुरानी मस्जिदों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है उन्हें खाली करवाया जाए।

समान नागरिक संहिता और इस्लामिक कानूनों में हस्तक्षेप का विरोध

इंकलाब (22 नवंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानपुर में हुए अधिवेशन में भारत सरकार को यह चेतावनी दी गई है कि वह शरई कानूनों और इस्लामिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का प्रयास न करे क्योंकि मुसलमान उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अधिवेशन में इस्लाम और उसके पैगम्बर के अपमान को रोकने के लिए सरकार से कड़े कानून बनाने की मांग की गई है। इसके साथ ही सरकार से यह भी मांग की गई कि वक्फ संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को मुक्त करवाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा जाए। एक अन्य प्रस्ताव में सरकार को यह चेतावनी दी गई कि वह समान नागरिक संहिता को मुसलमानों पर जबरन लादने की कोशिश न करे। इसके अतिरिक्त ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में ईदगाह से संबंधित विवादों को भड़काने पर भी सरकार को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी गई है। एक पत्रकार सम्मेलन में सरकार से यह मांग की गई है कि अल्पसंख्यकों के जान-माल और इज्जत-आबरू की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को हर कीमत पर रोका जाए। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा बांग्लादेश और त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की निंदा की गई और पुलिस पर यह आरोप लगाया गया कि उनका रूख पक्षपातपूर्ण था।

कौमी तंजीम (22 नवंबर) के अनुसार मौलाना राबे हसनी नदवी छठी बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। जबकि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को महामंत्री मनोनोत किया गया है। मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी के स्थान पर मौलाना अरशद मदनी और मौलाना कल्बे सादिक के स्थान पर प्रो. सैयद मोहम्मद नकवी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जबकि बिहार के अमीर-ए-शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी को कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त मौलाना

सागीर अहमद (कर्नाटक), मौलाना सफीन कासमी (देवबंद), एमआर शमशाद, काजी इंतजार कासमी (पटना), जावेद इकबाल, अनवर आलम, मौलाना हफीजुल रहमान और मौलाना अब्दुल वाहिद को भी कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस अधिवेशन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए।

हमारा समाज (22 नवंबर) के संपादकीय में कहा गया है कि इस अधिवेशन में इस बात पर चिंता प्रकट की गई कि सत्तारूढ़ दल मुसलमानों और इस्लाम को अपना निशाना बना रहा है और उन पर जबरन समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास कर रहा है। मौलाना राबे हसनी नदवी ने अपने संबोधन में इस बात पर चिंता प्रकट की कि मुसलमानों की नई पीढ़ी इस्लाम से दूर जा रही है इसलिए यह जरूरी है कि वे कुरान और रसूल का दामन थामने पर ज्यादा ध्यान दें और अपना ईमान और आस्था को बचाकर रखें।

समाचारपत्र ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि अब बाबरी मस्जिद की तरह कुछ अन्य मस्जिदों और ईदगाहों को उन से जबरन छीनने की साजिश हो रही है। ताजमहल को मंदिर में बदलने की बात उठाई जा रही है। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है तो इलाहाबद का नाम बदलकर प्रयागराज हो चुका है। मगर इससे मुसलमानों को उत्तेजित नहीं होना चाहिए। हालांकि यह हकीकत है कि इस समय भारत के 18 करोड़ मुसलमान बेबस हैं। उन्हें जिन हालात का सामना करना पड़ रहा है वह उससे पहले कभी नहीं देखा गया। मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हाशिए पर पहुंचा दिया गया है।

सालार (25 नवंबर) के अनुसार मौलाना अरशद मदनी ने इस बात पर जोर दिया है कि मुसलमनों को फासीवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ जंग अकेले नहीं लड़नी चाहिए बल्कि इसमें दलितों और अन्य वर्गों का भी सहयोग लेना चाहिए। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि मुसलमानों के खिलाफ जो वातावरण बनाया जा रहा है उसमें सत्तारूढ़ दल का सबसे ज्यादा हाथ है। उन्होंने कहा कि इस समय भारत में जो हालात हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। पहले कभी मुसलमानों को ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए मुसलमानों को सतर्क रहना चाहिए और अपने दीनी और शरई अधिकारों के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। तभी मुसलमान और इस्लाम बच सकता है।

परेशानियों में वसीम रिजवी

उत्तर प्रदेश शिया बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं।

इत्तेमाद (18 नवंबर) के अनुसार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात करके उनसे यह मांग की है कि वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि उन्होंने हाल ही में पैगम्बर से संबंधित एक पुस्तक 'मोहम्मद' प्रकाशित की है, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के प्रति गुस्ताख जुबान का इस्तेमाल किया गया है और उनकी तौहीन की गई है। यह पुस्तक हिंदी भाषा में है। प्रतिनिधिमंडल ने इस पुस्तक के कुछ अंशों के बार में पुलिस आयुक्त को लिखित रूप में भी अवगत कराया। समाचारपत्र

ने दावा किया है कि हैदराबाद की कमाटीपुरा पुलिस थाने में रिजवी के खिलाफ 153ए, 153बी, 295ए, 504 और 505(1)सी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 नवंबर) के अनुसार महाराष्ट्र में भी विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने वसीम रिजवी के खिलाफ कई स्थानों पर मुकदमे दर्ज करवाए हैं।

कौमी तंजीम (17 नवंबर) के अनुसार वसीम रिजवी ने अपने वसीयतनामे में यह लिखा है कि उनके मरने के बाद उन्हें कब्रिस्तान में दफनाने की बजाय श्मशान घाट में जलाया जाए। वसीम रिजवी ने अपनी वसीयत में डासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती को यह अधिकार दिया है कि वे उनकी चिता को मुखाग्नि दें। वसीम रिजवी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि देश में मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है और मेरा कत्ल करने वालों को ईनाम देने की घोषणा की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय में कुरान मजीद की 26 विवादित आयतों को हटाने की मांग की थी इस कारण कट्टरपंथी मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। हाल ही में मैंने हजरत मोहम्मद के बारे में एक पुस्तक हिंदी में लिखी है इसलिए कट्टरपंथी मेरा कत्ल करना चाहते हैं। मैं यह जानता हूं कि वे मुझे किसी कब्रिस्तान में दफन करने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए मैंने यह अनुरोध किया है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से किया जाए ताकि देश में अशांति उत्पन्न न हो।

टिप्पणी : इसमें संदेह नहीं कि वसीम रिजवी गत कुछ वर्षों से कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। कुरान के पाठ में संशोधन करने के आरोप में उन्हें इस्लाम और शिया सम्प्रदाय से खारिज किया जा चुका है। उनके परिवारजन उनसे अपना नाता तोड़ चके हैं। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर को दफन करने के लिए लखनऊ के कब्रिस्तान में जिस कब्र का निर्माण किया था उसे तोड़ा जा चुका है। अनेक मुफ्ती उन्हें इस्लाम से खारिज कर चुके हैं और उन्हें 'पतित' घोषित कर चुके हैं। इस्लाम की शरा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कुरान का अपमान करता है या वह इस्लाम को छोड़ता है तो उसके लिए तलवार से उसका सिर उड़ा देने का फतवा है। अभी तक रसूल के तौहीन के करने के कथित आरोप में 'रंगीला रसूल' के लेखक महाशय राजपाल, स्वामी श्रद्धानंद आदि की धर्मांध मुसलमान हत्या कर चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इन हत्यारों को पूरा मुस्लिम समाज महिमामंडित करता आ रहा है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वसीम रिजवी की जान का खतरा काफी बढ़ गया है।

सालार (24 नवंबर) ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव में वसीम रिजवी को मुंह की खानी पड़ी है और अली जैदी अध्यक्ष चुने गए हैं। समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि वसीम रिजवी के पीछे सत्तारूढ़ दल के कुछ लोगों का हाथ है जिनके हाथ में वसीम रिजवी एक मोहरा बना हुआ है। यह वही कर रहा है जो इसके माई-बाप कह रहे हैं। जो कुछ वह कर रहा है वह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसका सबूत यह है कि अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हैरानी की बात यह है कि जिस देश में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर टिप्पणो करने वालों को जेल भेज दिया जाता है उसी देश में वसीम रिजवी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में घोटाले के सिलसिले में वसीम रिजवी के खिलाफ अनेक केस दर्ज हैं और उसके खिलाफ सीबीआई तक की जांच चल रही है। मगर सरकार में बैठे लोग उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। मुसलमानों को यह बात भी अपने दिमाग में रखनी होगी कि वे कौन लोग हैं जो उसे समर्थन दे रहे हैं। वह कौन लोग

हैं जिनके हाथ में वह कठपुतली बना हुआ है। यह शख्स 2014 के बाद से निरंतर इस्लाम, रसूल और उनके परिवार के खिलाफ गुस्ताखी कर रहा है। मगर सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है।

हज के लिए 20 हजार आवेदन

मुंबई उर्दू न्यूज (26 नवंबर) के अनुसार केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अब तक 20 हजार लोगों ने हज यात्रा करने के लिए ऑनलाइन इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस बार हाजियों को चार लाख रुपये खर्च करने होंगे। हज यात्रा करने के इच्छुक लोग मोबाइल ऐप पर भी आवेदन दे सकते हैं और देश भर में फैले हुए वक्फ के दफ्तरों में भी आवेदन दिए जा सकते हैं। इस वर्ष यात्री हज यात्रा करने के लिए दस स्थानों से ही विमानों में सवार हो सकेंगे। उन्होंने दावा किया कि गत सात वर्षों में हज यात्रा के प्रबंधां में बेहद सुधार किया गया है। हालांकि हज सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का पोर्टल, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स का पोटल, डिजिटल हेल्थ कार्ड, ई-मसीहा, मक्का मदीना में आवास की सुविधाएं और परिवहन की सुविधाएं भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इंडोनेशिया के बाद भारत से सर्वाधिक मुस्लिम हज यात्रा करेंगे। हज यात्री 31 जनवरी तक हज के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक महिलाओं ने बिना 'महरम' (बिना किसी पुरुष साथी) के हज यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की है। जिन हवाई अड्डों से हज यात्री रवाना होंगे उनमें अहमदाबाद, मंगलुरु, कोच्चि, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर शामिल हैं। इससे पूर्व 21 स्थानों से हज यात्री हज यात्रा करने के लिए रवाना होते थे।

हमारा समाज (18 नवंबर) के अनुसार हज कमेटी ऑफ इंडिया के सदस्य हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने मांग की है कि हज यात्रियों की रवानगी के लिए जिन 11 नगरों को बंद किया गया है उन्हें अविलंब खोला जाए। जमीयत अहले हदीस के अध्यक्ष अंसार जुबैर मोहम्मदी ने मांग की है कि केन्द्रीय हज कमेटी का गठन किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाल ही में हज कमेटी के नाम पर मुंबई में करोड़ों रुपये की भूमि खरीदी गई है। इसको खरीद के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया है इस पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हज कमेटी का जो पैसा है वह सभी मुसलमानों का है। इसलिए सभी मुसलमानों को यह जानने का अधिकार है कि उनके पैसों का क्या हो रहा है।

हमारा समाज (17 नवंबर) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने उमरा की अनुमति दे दी है और इस संदर्भ में जो पाबंदियां लगाई गई थीं उनको भी हटा लिया गया है। उमरा के लिए जाने वाले व्यक्तियों को अपने मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और उन्हें वैक्सीन के दोनों टीके लगवाने होंगे। इसके बिना उन्हें हज और उमरा करने की अनुमति नहीं दो जाएगी। मुस्लिम फंड ट्रस्ट के संयोजक फहीम सिद्दीकी ने कहा कि 65 वर्ष की उम्र तक के लोग ही हज और उमरा के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इस बार हज के खर्चे में वृद्धि हुई है। अब प्रत्येक हाजी को 3 लाख 40 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।

अमेरिका द्वारा तालिबान के साथ वार्ता की घोषणा

इंकलाब (25 नवंबर) के अनुसार अमेरिका ने यह घोषणा की है कि वह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और अफगानिस्तान में मानवीय संकट जैसी समस्याओं के समाधान के लिए अगले सप्ताह कतर में तालिबान के साथ पुनः वार्ता प्रारम्भ कर रहा है। इस वार्ता में अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट करेंगे। इस बातचीत में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर राहत देने की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि अफगानिस्तान की तबाह अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके। अफगानिस्तान में इस समय जो अमेरिकी नागरिक और अन्य अफगान रह रहे हैं उनके अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने पर भी फैसला किया जाएगा। ये वह अफगान नागरिक हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। इससे पूर्व भी थॉमस वेस्ट ने तालिबान के प्रतिनिधियों से अफगानिस्तान में मुलाकात की थी। अगस्त महीने में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। इसके बाद दो बार अमेरिका और तालिबान के बीच मुलाकात हो चुकी है। बताया जाता है कि अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान में सक्रिय अन्य इस्लामिक आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने के लिए तालिबान सरकार ठोस कदम उठाए। अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए।

थॉमस वेस्ट ने कहा ह कि फिलहाल अमेरिका मानवीय आधार पर अफगानिस्तान को सहायता उपलब्ध कराएगा। हाल ही में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने अमेरिका से इस बात का आग्रह किया था कि उसने अपने देश में अफगानिस्तान की पूंजी पर जो रोक लगा रखी है उसे हटाया जाए ताकि अफगानिस्तान आर्थिक संकट का सफलतापूर्वक सामना कर सके। गौरतलब है कि अभी तक पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी भी देश ने

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि अफगानिस्तान में आर्थिक संकट दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वहां पर अकाल जैसी स्थिति बन गई है। इससे निपटने क लिए यह जरूरी है कि विश्व के विभिन्न देश मानवीय आधार पर अफगानिस्तान को सहायता उपलब्ध कराएं। अफगानिस्तान में हाल ही में बर्फबारी के कारण अनेक क्षेत्रों में यातायात भंग हो गया है और इसके कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

रोजनामा सहारा (24 नवंबर) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब सऊदी अरब ने भी अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोलने का संकेत दिया है। गौरतलब है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद सऊदी अरब ने अपने दूतावास का बंद करके सभी कर्मचारियों को वापस बुला लिया था। अब संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब अफगानिस्तान सरकार के अनुरोध पर अफगानिस्तान में अपना दूतावास पुनः खोलने पर विचार कर रहे हैं।

इसी समाचारपत्र में एक अन्य समाचार के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में तीसरी बार विस्तार किया गया है और 25 नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हालांकि अभी भी अफगान मंत्रिमंडल में महिलाओं और अफगानिस्तान के अन्य कबीलों का प्रतिनिधित्व नहीं है।

खालिदा जिया की हालत नाजुक

इत्तेमाद (21 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश की विपक्षी नेता और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया के स्वास्थ्य में चिंताजनक गिरावट आने के कारण बांग्लादेश के कई सांसदों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से यह मांग की है कि खालिदा जिया को इलाज के लिए विदेश भेजा जाए वरना वे अपने पदों से त्यागपत्र दे देंगे। गौरतलब है कि खालिदा जिया भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रही हैं। इन दिनों वे ढाका के एक सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। उनके छोटे भाई शमीम एस्कंदर ने सरकार से मांग की है कि उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजा जाए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरूल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि खालिदा जिया की हालत नाजुक है इसलिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए। बांग्लादेश की 20 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने भी यह धमकी दी है कि अगर खालिदा जिया को इलाज के लिए विदेश नहीं

भेजा गया तो वे इस्तीफा दे देंगे और अगर खालिदा जिया के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से दोषी होगी। विपक्षी सांसदों ने एक बयान में कहा है कि बांग्लादेश के संविधान की धारा 401 के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को रिहा कर सकती है,

उसकी कैद माफ कर सकती है और उसे इलाज के लिए विदेश भेज सकती है। विपक्ष की इस मांग पर टिप्पणी करते हुए बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा है कि विपक्षी दल जो मांग कर रहे हैं वह कानून की किताबों में नहीं है। वे जितनी चाहें मुझे गालियां दे लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कानून पर ही अमल करूंगा।

रोजनामा सहारा (27 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव ने यह आरोप लगाया है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को सरकार कत्ल करने का प्रयास कर रही है और उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि खालिदा जिया दो वर्षों से जेल में बंद हैं और उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ रहा है। सरकार उनका सही इलाज नहीं करवा रही। ढाका में खालिदा जिया के पक्ष में प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है, जिसमें उनकी रिहाई और उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजने की मांग की गई है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल अवामी लीग के नेताओं का कहना है कि खालिदा जिया को किसी भी कीमत पर विदेश जाने की अनुमति न दी जाए।

इंकलाब (26 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने सभी अर्द्धसैनिक बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है ताकि खालिदा जिया के स्वास्थ्य को लेकर विपक्षी दल कोई अशांति और हिंसा फैलाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें सख्ती से कुचला जा सके।

बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या में भारी कमी

अवधनामा (16 नवंबर) के अनुसार गत 50 वर्षों में बांग्लादेश की कुल जनसंख्या बढ़कर दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है लेकिन हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से घट रही है। बौद्धों, ईसाईयों और अन्य धर्मावलंबियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बांग्लादेश में पहली जनगणना 1974 में हुई थी। उस समय हिंदू जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13.5 प्रतिशत था। इसके बाद चार जनगणनाओं में भी हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती गई। 2011 में हुई जनगणना में बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या घटकर 8 प्रतिशत ही रह गई। बांग्लादेश के सांख्यिकी ब्यूरो ने 2011 की जनसंख्या और मकानों की गणना रिपोर्ट में हिंदुओं की निरंतर घट रही आबादी के दो कारण बताए हैं। उनमें एक तो यह है कि हिंदू निरंतर बांग्लादेश से पलायन कर रहे हैं और दूसरा हिंदुओं में जनसंख्या की वृद्धि का अनुपात इसलिए भी कम हा रहा है क्योंकि वे अन्य धर्मावलंबियों के मुकाबले में कम बच्चे पैदा

कर रहे हैं। जबकि हिंदू नेताओं का यह कहना है कि क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं इसलिए उन्हें जान व माल को बचाने के लिए बांग्लादेश से बोरिया-बिस्तर बांधकर भागना पड़ रहा है।

ढाका विश्वविद्यालय के आर्थिक विभाग के प्रमुख प्रो. अबुल बरकत हिंदुओं की घटती आबादी के बारे में गत एक दशक से अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कड़वी सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाहता। मगर जिस तरह से हिंदू जनसंख्या में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है उसके कारण मजबूरन उन्हें अन्य देशों में शरण लेनी पड़ रही है। उन्होंन इस बात को भी स्वीकार किया है कि बांग्लादंश की शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत हिंदुओं को उनकी संपत्ति से सरकार द्वारा निरंतर वंचित किया जा रहा है। उनकी भूमि को उनसे छीना जा रहा है

और उनकी भूमि पर गैर हिंदू जबरन कब्जा कर रहे हैं। इसलिए उन्हें रोजगार की तलाश में बांग्लादेश से भागना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में दुर्गा पूजा के दौरान कुरान पाक के अपमान की घटना की आड़ लेकर पूजा के मंडपों और मंदिरों को सुनियोजित ढंग से तबाह किया गया तथा उनके मकानों और दुकानों को लूटने के बाद आग लगाई गई। इन दंगों में अनेक लोग मारे भी गए। इसी कारण बांग्लादेशी हिंदुओं को अपना देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ■

आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्धविराम

अवधनामा (18 नवंबर) के अनुसार रूस की मध्यस्थता के कारण आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्धविराम का समझौता हो गया है। इस समझौते की घोषणा आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय ने की है और यह दावा किया है कि आर्मीनिया की उत्तरी सीमा पर अब स्थिति स्थिर है। गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व आर्मीनिया और अजरबैजान के सैनिकों के बीच झड़पें हुईं थी, जिसमें अनेक सैनिक मारे गए थे और कुछ घायल हुए थे। इन दोनों देशों के बीच गत दो वर्षों से युद्ध चल रहा है, जिसमें दोनों पक्ष के अनेक सैनिक मारे जा चुके हैं। एक वर्ष पूर्व रूस के पयास से इन दोनों देशों के बीच युद्धविराम का समझौता हुआ था जो कि हाल ही में टूट गया। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि इस युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने

अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से बातचीत की है और इस बात पर जोर दिया है कि एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने की बजाय उन्हें युद्धविराम करके युद्ध को समाप्त करना चाहिए। फ्रांस क विदेश मंत्रालय ने भी यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष का समर्थन किया है

और यह मांग की है कि व युद्धविराम का पालन करं। आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार हाल की झड़पों में उसके कम-से-कम दो दर्जन फौजी मारे गए हैं और एक दर्जन फौजियों का अपहरण कर लिया गया है। इन झड़पों के बाद आर्मीनिया ने रूस से सहायता का अनुरोध किया था और रूस के राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में आर्मीनिया के राष्ट्रपति से भी बातचीत की थी। रूस के रक्षा मंत्री ने इन दोनों देशों को मशविरा दिया है कि वे तुरंत युद्ध बंद करें।

एक वर्ष पूर्व विवादित क्षेत्र नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र पर कब्जे को लेकर दोनों देशों के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें छह हजार से अधिक सैनिक मारे गए थे। यह युद्ध छह सप्ताह तक चला था। बाद में मास्को के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच समझौता हो गया था। मगर इस समझौते के कारण आर्मीनिया को नागोर्नो-काराबाख का एक बड़ा हिस्सा खाली करना पड़ा था।

गौरतलब है कि अजरबैजान मुस्लिम बहुल देश है जबकि आर्मीनिया में ईसाईयों का बहुमत है। यह विवादित क्षेत्र कभी अजरबैजान का भाग था। मगर सोवियत यूनियन के विघटन के बाद इस पर पृथकतावादियों ने कब्जा करके अपनी हुकूमत स्थापित कर ली थी। इस युद्ध में अब तक 30 हजार लोग मारे जा चुके हैं। आर्मीनिया में रूस का एक महत्त्वपूर्ण सैनिक अड्डा भी है जबकि अजरबैजान को तुर्की का समर्थन प्राप्त है।

फ्रांस में इस्लामिक आतंकवादी संगठनों पर नियंत्रण का फैसला

मुंबई उर्दू न्यूज (18 नवंबर) के अनुसार फ्रांस की राजधानी पेरिस में हाल ही में हुई भारत-फ्रांस संयुक्त वर्किंग ग्रुप की बैठक में यह तय किया गया है कि दोनों देश मिलकर अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के साथ-साथ पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सह सचिव महावीर सिंघवी और फ्रांस की विदश मंत्रालय के निदेशक फिलिप बर्टोक्स ने किया। इस बैठक में इस्लामिक जिहादी संगठनों की बढ़ती हुई गतिविधियों और विशेष रूप से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में उनकी बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिए राणनीति पर विचार किया गया।

गौरतलब है कि 2008 में मुंबई में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला हुआ था जबकि 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी

आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। फ्रांस ने इस्लामिक आतंकवाद को रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें इस्लामिक शरणार्थियों के प्रवेश को रोकना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त फ्रांस सरकार इस्लामिक आतंकियों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रख रही है। बैठक में यह तय किया गया कि दोनों देश ऐसी व्यवस्था करें जिसमें भविष्य में कोई इस्लामिक संगठन वहां हमला न कर सके और इस बात को भी सुनिश्चित करें कि उनकी भूमि पर कोई आतंकवादी संगठन न तो अड्डे बना पाए और न ही शरण ले सके।

लेबनान और सऊदी अरब के बीच तनाव

इत्तेमाद (16 नवंबर) के अनुसार सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादा फैजल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब उस समय तक लेबनान की सरकार के साथ किसी बातचीत को लाभदायक नहीं समझता जब तक वहां के नेता हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन और उसके समर्थक ईरान के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाते। अरब न्यूज के अनुसार इस बयान से सऊदी अरब और लेबनान के बीच संबंधों में सुधार की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। लेबनान में दिन-प्रतिदिन स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और आर्थिक संकट दिन-प्रतिदिन गंभीर रूप लेता जा रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने फ्रांस के टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि लेबनान सरकार के साथ बातचीत का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां के नेता लबनान को हिजबुल्लाह और उसके समर्थक ईरान से मुक्त करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। खाड़ी देशों के साथ लेबनान के संबंध दिन-प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। यमन में सऊदी अरब के बढ़ते हुए हमलों पर हाल ही में लेबनान के एक मंत्री ने जो कड़ी टिप्पणी की थी उसके बाद सऊदी अरब ने लेबनान के राजदूत को अपने देश से निष्कासित कर दिया है और वहां से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। इसके अतिरिक्त लेबनान के साथ सभी व्यापारिक रिश्तों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सऊदी अरब लेबनान के सूचना मंत्री जॉर्ज कोरदाही के उस बयान से सख्त नाराज है, जिसमें उन्होंने यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों का समर्थन करते हुए यह आरोप लगाया था कि यमन को सऊदी अरब और उसके साथी जंग की आग में झोंक रहे हैं। हालांकि इस मंत्री का यह कहना है कि उसका यह बयान काफी पुराना है मगर लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती के दबाव के बावजूद उन्होंने यह बयान वापस लेने, सऊदी अरब से माफी मांगने या त्यागपत्र देने से साफ इंकार कर दिया है। सऊदी सरकार का कहना है कि लेबनान में जिस तरह से ईरान का प्रभाव बढ़ रहा

है और हिजबुल्लाह लेबनान की राजनीति पर छा रहा है इसे वह किसी भी कोमत पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (24 नवंबर) के अनुसार लेबनान के सेना प्रमुख जोसेफ औन ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया जहां पर अमेरिका के उच्चाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन की नीति भी लेबनान के प्रति स्पष्ट नहीं है। एक ओर तो अमेरिका लेबनान के साथ सैनिक संबंधों को और अधिक सृदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर वह इस बात से भी काफी परेशान है कि लेबनान में ईरान के समर्थक आतंकी इस्लामिक संगठन हिजबुल्लाह का प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढता जा रहा है।

पिछले वर्ष बेरूत में जो भीषण विस्फोट हुआ था उसमें कई सौ लोग मारे गए थे। मगर उसकी जांच करवाने के मामले में लेबनान सरकार काफी ढिलाई बरत रही है। अमेरिकी मीडिया का आरोप है कि इसका कारण लेबनान सरकार पर हिजबुल्लाह का दबाव है। इससे पूर्व डोनाल्ड ट्रम्प का रूख हिजबुल्लाह के बारे में काफी कड़ा था और तब अमेरिकी प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया था कि हिजबुल्लाह को बाहर से आर्थिक सहायता प्राप्त न हो। मीडिया में यह चर्चा जोरों से है कि लेबनान बैंक के एक उच्चाधिकारी ने 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर अमेरिका से तस्करी किए हैं। बताया जाता है कि इस मामले में लेबनान के कई राजनेताओं का भी हाथ है।

सियासत (22 नवंबर) ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और लेबनान के बीच बढ़ते हुए तनावों पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि अरब देशों के बीच मतभेदों के कारण इस्लामिक जगत और अरब दुनिया को भारी क्षति उठानी पड़ेगी। क्योंकि इसका लाभ इजरायल और अन्य पश्चिमी देश उठाएंगे। 1967 के युद्ध में इजरायल ने जिन क्षेत्रों पर जबरन कब्जा किया था उन पर उसका कब्जा आज भी बरकरार है। कई अरब देशों ने इजरायल के नाजायज वजूद का स्वीकार करते हुए अमेरिका के दबाव में आकर उनसे राजनयिक संबंध बना लिए हैं। कुवैत और बहरीन ने भी सऊदी दबाव पर अपने राजदूतों को लेबनान से वापस बुला लिया है।

अरब देशों द्वारा लेबनान के आर्थिक बहिष्कार से लेबनान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। सऊदी अरब और खाड़ी के देश अमेरिकी दबाव के कारण ईरान और हूतियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब उन्होंने अमेरिका के दबाव में आकर लेबनान पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह काफी ताकतवर है और इसने सीरिया में बशर अल-असद की शिया सरकार को बचाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी अरब देश बशर अल-असद की सरकार का तख्ता पलटकर वहां पर अपने किसी कठपुतली नेता को सरकार में बैठाना चाहते थे। खाड़ी देशों के इस रवैये के कारण लेबनान सरकार काफी परेशान है। इस्लामिक देशों के इस विवाद से सबसे ज्यादा खुश अमेरिका और इजरायल हो रहे हैं क्योंकि वे दोनों इस्लाम के दुश्मन हैं।

कर्नल गद्दाफी का बेटा चुनाव के लिए अयोग्य घोषित

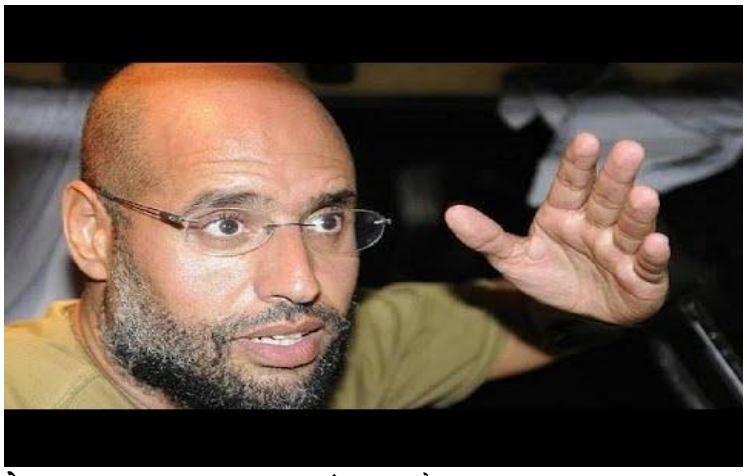

रोजनामा सहारा (26 नवंबर) के अनुसार लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के पुत्र सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी को लीबिया के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के अगले चुनाव में खड़ा होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। अमेरिकी संवाद समिति एपी के अनुसार यह फैसला लीबिया के हाई नेशनल एलेक्शन कमीशन की ओर से किया गया है। इस फैसले का आधार न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई सजा को बताया गया है। 2015 में त्रिपोली के एक न्यायालय ने सैफ अल-इस्लाम को मौत की सजा सुनाई थी। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने उनके पिता को अपदस्थ करने की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों पर हिंसा का इस्तेमाल करके दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि यह फैसला विवादित बताया जाता है। लीबिया के चुनाव आयोग ने सैफ अल-इस्लाम को यह अधिकार जरूर दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ किसी अन्य अदालत में अपील करवा सकते हैं।

इससे पूर्व 2011 में उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था जो कि अभी तक विचाराधीन है। लीबिया में राष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में हो रहा है। मगर चुनाव पर इसलिए संकट के बादल हैं क्योंकि लीबिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि ने चुनाव से पूर्व लीबिया छोड़कर चले जाने की धमकी दी है। कर्नल गद्दाफी को सत्ता से हटाने और उसके बाद उनकी हत्या करने के बाद से गत दो दशक से लीबिया में गहयुद्ध चल रहा है। इस गृह युद्ध को तुर्की, रूस और सीरिया जैसी ताकतों का भी समर्थन रहा है। कर्नल गद्दाफी के बेटे ने त्रिपोली से 650 किलोमीटर दूर पहली बार अज्ञात स्थान से निकलकर अपने नामांकन पत्र जमा करवाए थे। 49 वर्षीय सैफ अल-इस्लाम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी प्राप्त हैं। कर्नल गद्दाफी के खिलाफ जो अभियान चला था उसे नाटो और अमेरिका का भी समर्थन प्राप्त था। इस गृहयुद्ध में गद्दाफी की हत्या कर दी गई थी और उसकी 40 वर्षों की तानाशाही का खात्मा हो गया था। इसके बाद लीबिया में गृहयुद्ध छिड़ गया और सत्तारूढ़ गुट ने सैफ अल-इस्लाम को जेल में बंद कर दिया। जेल में छह वर्ष गुजारने के बाद जून 2017 में उन्हें रिहा किया गया था। लीबिया में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में विश्व की ताकतों में काफी मतभेद हं। जहां पश्चिमी देश इस चुनाव का समर्थन कर रहे हं। वहीं रूस ने इसका विरोध किया है। इस विरोध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है।

ऑस्ट्रेलिया ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया

इंकलाब (25 नवंबर) के अनुसार आंस्ट्रेलिया सरकार ने लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। आंस्ट्रेलिया द्वारा इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का अथ यह होगा कि इस संगठन की सदस्यता प्राप्त करना या उसे आर्थिक सहायता प्रदान करना अब आंस्ट्रेलिया में कानूनी अपराध होगा। इस फैसले के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लेबनान के निवासियों ने रोष प्रकट किया है जिसे दरकिनार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार किसी भी कीमत पर हिंसा और आतंकवाद को प्रोत्साहन देने क पक्ष में नहीं है। हम बेगुनाहों के कत्ल को चाहे उसका आधार धार्मिक हो या राजनीतिक किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते।

हिजबुल्लाह की ओर से निरंतर इस्लामिक आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अमेरिका और इजरायल ने भी काफी समय से हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगा रखा है। जर्मनी ने भी पिछले वर्ष मई में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किंतु जर्मनी की गुप्तचर एजेंसियों के अनुसार जर्मनी में इस समय भी 1000 से अधिक सशस्त्र आतंकवादी मौजूद हैं। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह एक शिया आतंकवादी संगठन है जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। इसका गठन लेबनान के गृहयुद्ध के दौरान 1982 में किया गया था। इस संगठन ने 2006 में इजरायल के साथ युद्ध किया था। कहा जाता है कि इस संगठन को ईरान आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान करता है। इस समय लेबनान के एक बड़े हिस्से पर इस संगठन का कब्जा है और लेबनान की राजनीति पर भी इसका वर्चस्व है।

एक अन्य समाचार के अनुसार ब्रिटेन ने इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमास की राजनीतिक विंग के प्रमुख ने कहा है कि व ब्रिटेन के इस फैसले का कानूनी और राजनीतिक स्तर पर मुकाबला करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जो लोग हमारे समर्थक हैं वे ब्रिटेन सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि वह अपना यह फैसला वापस ले ले। ब्रिटेन का यह फैसला उसकी फिलिस्तीनी जनता के साथ दुश्मनी का प्रमाण है और ब्रिटेन इजरायल के हाथ में खेल रहा है।

अमेरिका और ईरान के बीच झड़पों में नौ फौजी मरे

औरंगाबाद टाइम्स (24 नवंबर) के अनुसार फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौ सेना और ईरान के पासदाराने इंकलाब के बीच हुई झड़पों में ईरान के नौ सैनिक मारे गए हैं। फारस की खाड़ी और जॉर्डन की खाड़ी में तेल के टैंकरों को जब्त करने पर अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा था वह दिन-प्रतिदिन गंभीर रूप ले रहा है। अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी कर रखी है इसलिए आर्थिक दृष्टि से उसकी कमर तोड़ने के लिए उसका यह प्रयास है कि विश्व में ईरान के तेल को कोई नहीं खरीदे। यही कारण है कि वह ईरान के तेल को सप्लाई करने वाले ऑयल टैंकरों को समुद्र में हमला करके जब्त कर लेता है। इसके खिलाफ ईरान ने हाल ही में अमरिकी नौ सेना पर कई बार हमले करके उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इस दावे का खंडन या पुष्टि नहीं की है।

अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष की काफी दिनों से तैयारी चल रही थी। हाल ही में इजरायल और अमेरिका ने फारस की खाड़ी मं वायु युद्ध का अभ्यास किया था। इसका उद्देश्य ईरान पर दबाव डालना था। इससे पूर्व अमेरिका ने ईरान को स्पष्ट शब्दों में यह धमकी दी थी कि अगर ईरान फारस की खाड़ी में अमेरिका के लिए रूकावट बना तो वह उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि ईरान के परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए अमेरिका हर कदम उठाएगा।

गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका, ईरान और यूरोप के बीच हुए परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था। अमेरिका को लेबनान, सीरिया और अन्य देशों में ईरान का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल का यह प्रयास है कि ईरान का किसी भी देश के साथ परमाणु समझौता न हो। हाल ही में हुई झड़पों के बारे में जानकार सूत्रों का कहना है कि ईरान की मिलिशिया पासदाराने इंकलाब ने डीजल ले जाने वाले एक विदेशी टैंकर को कब्जे में लेकर उसके 11 कर्मचारियों को बंधक बना

लिया था। ईरान का दावा है कि यह डीजल गैरकानूनी ढंग से किसी अज्ञात स्थान की ओर ले जाया जा रहा था। ईरान ने इस टैंकर और उसके कर्मचारियों की नागरिकता अभी तक उजागर नहीं की है। हाल ही में ईरान ने वियतनाम के झंडे वाले एक टैंकर को कब्जे में ले लिया था। हालांकि यह अमेरिकी ऑयल टैंकर था जो डीजल की अवैध रूप से सप्लाई कर रहा था।

तुर्की में दस अरब डॉलर का पूंजी निवेश

इत्तेमाद (26 नवंबर) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत संयुक्त अरब अमीरात तुर्की में दस अरब डॉलर का पूंजी निवेश करेगा। ये पूंजी निवेश ऊर्जा, स्वास्थ्य और खाद्य क्षेत्रों में किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के युवराज ने कहा है कि तुर्की का उनका दौरा सफल रहा है और अब दोनों देशों के बीच संबंधों में और भी निकटता आएगी।

एर्दोगान अगले महीने अबुधाबी का दौरा करेंगे। इससे पूर्व संयुक्त अरब अमीरात के युवराज तुर्की के सरकारी दौरे पर जब अंकारा पहुंचे तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरे के बाद इन दोनों देशां के बीच जो तनाव पिछले दशक स चल रहा था उसमें काफी कमी आने की संभावना है। तुर्की इस समय आर्थिक संकट का शिकार है और तुर्की की करेंसी की मूल्य में 40 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। तुर्की में बेरोजगारी और महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण तुर्की की अर्थव्यवस्था दिन-प्रतिदिन चौपट हो रही है। आशा है कि खाड़ी देशों के सहयोग से तुर्की अब आर्थिक संकट से उबरने में सफल होगा।

अन्य

जामा मस्जिद की खस्ता हालत

इंकलाब (16 नवंबर) के अनुसार दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने आरोप लगाया है कि पुरातत्व विभाग की लापरवाही के कारण दिन-प्रतिदिन ऐतिहासिक जामा मस्जिद की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बरसात के कारण मस्जिद के गुंबद और दीवारों में इतना पानी जमा हो गया है कि वह मस्जिद की बुनियाद में जा रहा है। सीलन के कारण इस मस्जिद की मीनारों में लगे हुए पत्थर गिर रहे हैं। उन्होंने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री, पुरातत्व विभाग और आगा खान फाउंडेशन को पत्र लिखे हैं। मगर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण उन्होंने स्वय ही मरम्मत करवाने का काम शुरू कर दिया है।

विशेषज्ञों के अनुसार इमाम इसकी मरम्मत में सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वह सही नहीं है। इससे पुराने निर्माण कार्य को क्षति होगी। शाही इमाम ने यह भी दावा किया कि पंडित नेहरू के काल में 35 वर्ष तक पुरातत्व विभाग ने जामा मस्जिद की मरम्मत करवाई थी। मगर इसके बाद इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आगा खान फाउंडेशन के प्रवक्ता ने कहा कि उनका संस्थान अंतरराष्ट्रीय है। जब तक भारत सरकार उनसे अनुरोध नहीं करेगी वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि वे इस संदर्भ में भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र लिखेंगे ताकि इस ऐतिहासिक मस्जिद को बर्बाद होने से बचाया जा सके।

टिप्पणी : हालांकि मुगल सम्राट शाहजहां की बनाई हुई जामा मस्जिद पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में है। मगर प्रारम्भ से ही इसका प्रबंध शाही इमाम के वंशज ही करते आ रहे हैं। वर्तमान शाही इमाम इस सिलसिले के 28वें इमाम हैं। उनके पूर्वज को शाहजहां ने बुखारा से बुलाकर इस मस्जिद की देखभाल का काम सौंपा था। शाही इमाम इस संदर्भ में काफी विवादित रहे हैं। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वे मस्जिद के आसपास की भूमि पर स्टॉल आदि लगाने का किराया स्वयं वसूलते हैं। इसके अतिरिक्त जो पर्यटक जामा मस्जिद देखने आते हैं उनसे जामा मस्जिद के मीनारों की फीस भी वसूली जाती है जो कि शाही इमाम की जेब में ही जाती है। इसके अतिरिक्त पार्किंग से भी शाही इमाम को मोटी आमदनी होती रही है। ■

मोदी सरकार ने बदले 26 रेलवे स्टेशनों के नाम

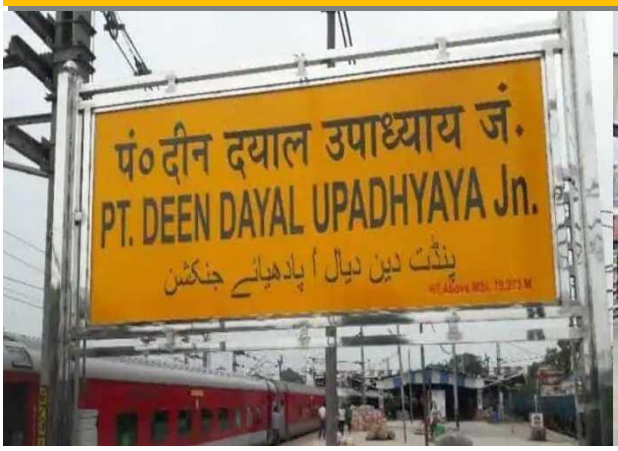

रोजनामा सहारा (21 नवंबर) के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का हाल ही में उद्घाटन किया था। पहले इसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। इससे पूर्व भी मोदी सरकार के शासनकाल में अनेक रेलवे स्टेशनों का नाम बदला जा चुका है। अब तक 26 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पांच रेलवे स्टेशनों को नया नाम दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। जबकि मुगलसराय जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया है। इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन रखा गया है। जबकि मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन किया गया है। दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी धाम रखा गया है। इसी तरह बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्रांतिवीर संगोली रायण्णा रखा गया है। इसके अतिरिक्त गुलबर्गा का नाम कलबुर्गी किया गया है। महाराष्ट्र के ओशिवारा का नाम बदलकर राम मंदिर रलवे स्टेशन रखा गया है। जबकि एलफिंस्टन रोड स्टेशन का नाम बदलकर प्रभा देवी स्टेशन रखा गया है। इन सब नामों का परिवर्तन राज्य सरकारों के अनुरोध पर किया गया है।

मुस्लिम लड़कियां गैर मुसलमानों की ओर आकर्षित

सियासत (9 नवंबर) के अनुसार संगारेड्डी में महिलाओं की सभा को संबोधित करते हुए हैदराबाद की जमीयत उल मामिनात की प्रिंसिपल रिजवाना जरीन ने मुसलमान महिलाओं से अनुरोध किया है कि वे अपनी लड़कियों पर कड़ी नजर रखें क्योंकि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम युवकों के माया जाल में तेजी से फंसती जा रही हैं। मुसलमान किशोरियों और युवतियों में इस्लाम को छोड़कर अन्य धर्म अपनाने का रूझान तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि मुस्लिम लड़कियों को ऐसे संस्थानों में शिक्षा के लिए न भेजा जाए जहां पर सह शिक्षा होती हो। इसके अतिरिक्त एक अन्य मुस्लिम महिला नाजिमा अजीज ने भी कहा कि मुसलमानों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि मुस्लिम युवतियां गैर मुसलमानों के मायाजाल में न फंसें। इसके लिए यह जरूरी है कि दहेज, जोड़ा और दावत जैसे फिजुलखर्चों से मुसलमान बचें और कुरान के अनुसार मस्जिदों में सादगी से निकाह पढ़वाने का सिलसिला शुरू करें।

अमेरिकी संविधान का प्रारूप साढ़े चार करोड़ डॉलर में नीलाम

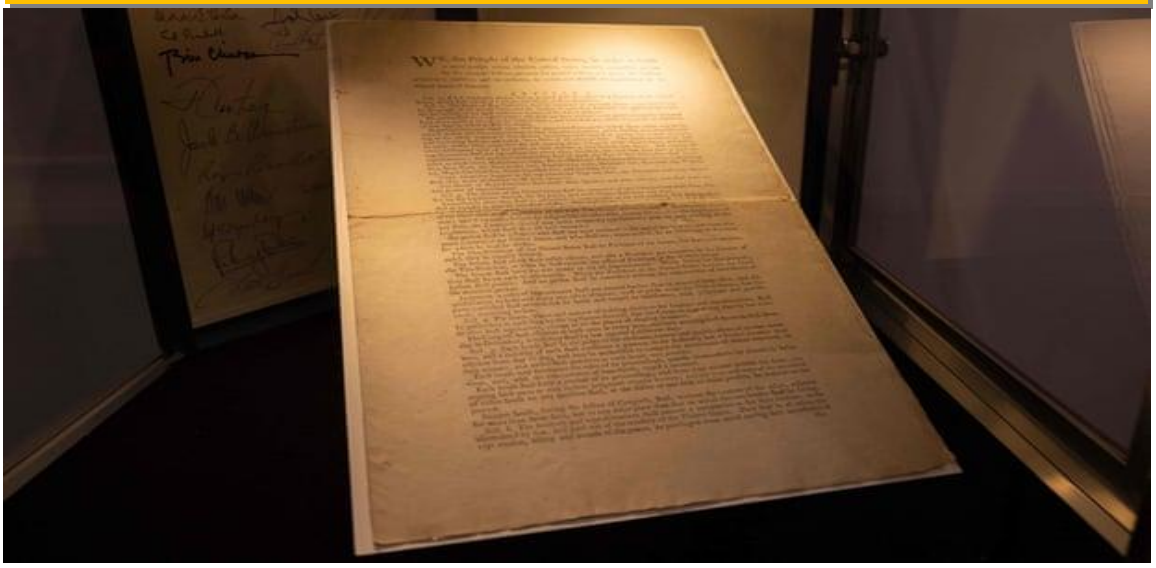

सियासत (21 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी संविधान की मूल प्रतिलिपि 4 करोड़ 82 लाख डॉलर में नीलाम हुई है। आज तक कोई भी दस्तावेज इतने महंगे दामों पर नहीं बिका। इस नीलामी में अमेरिकी संविधान की जिस पांडुलिपि को पेश किया गया था वह उन 13 प्रतिलिपियों में से एक थीं जिनको सरकारी उद्देश्य से प्रकाशित किया गया था। इन 13 प्रतिलिपियों में से सिर्फ दो प्रतिलिपियां आमलोगों के पास थीं। इनमें से एक प्रतिलिपि को नीलाम किया गया है। इसे खरीदने वाले का नाम गुप्त रखा गया है। इस नीलामी में 17 हजार लोगों ने भाग लिया था। संविधान की यह प्रतिलिपि 1988 में पहली बार किसी व्यक्ति ने बेची थी जिस होवार्ड गोल्डमैन नामक व्यक्ति ने एक लाख 65 हजार डॉलर में खरीदा था। अब इस प्रतिलिपि को गोल्डमैन की विधवा ने बेचा है। नीलाम करने वालों ने बताया कि आज तक कोई भी दस्तावेज इतना महंगा नहीं बिका है।

जाकिर नाइक के संगठन पर प्रतिबंध में विस्तार

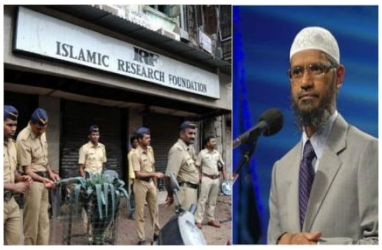

इंकलाब (17 नवंबर) के अनुसार विवादित इस्लामिक प्रचारक डॉ. जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने प्रतिबंध में पांच वर्षों की वृद्धि कर दी है। गौरतलब है कि इस संगठन पर 2016 में यूएपीए कानून के तहत प्रतिबंध लगाया गया था जिसे अब बढ़ा दिया गया है। पाबंदी पर वृद्धि के समर्थन में तर्क देते हुए गृहमंत्रालय ने यह दावा किया है कि यह संगठन ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा है जिसके कारण देश में सांप्रदायिक सदभावना, सेक्युलर छवि और देश की सुरक्षा को क्षति पहुंचने की संभावना है। यह भी आरोप लगाया गया है कि इस संगठन द्वारा देश के विभिन्न संप्रदायों में नफरत फैलाने का काम विदेशों से प्राप्त धनराशि द्वारा किया गया है। जाकिर नाइक इन दिनों मलेशिया में रह रहा है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

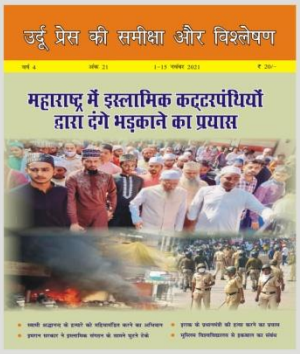

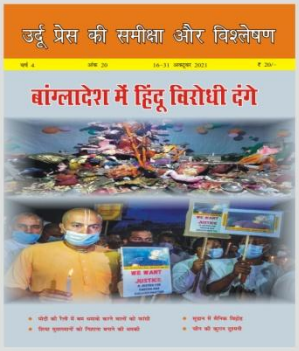

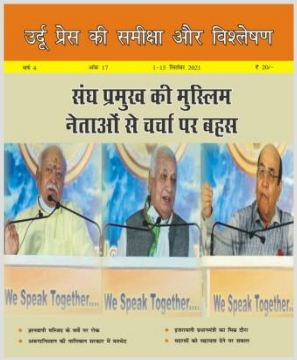

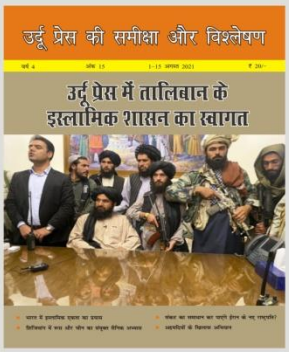

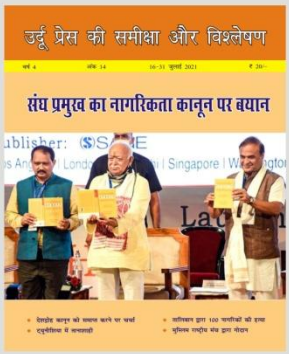

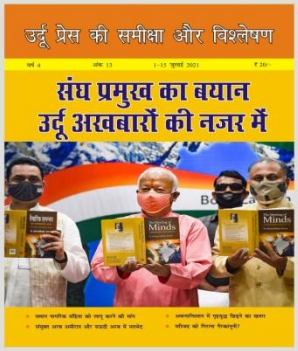

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in